न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 36/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/214

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. नेमाराम पुत्र मिश्रीलाल 2. डाईदेवी पत्नी नेमाराम जातिगण घांची निवासीगण चौधरियों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला पाली		1. भंवरलाल पुत्र चैलाराम जाति सीरवी निवासी बासनी जोधराज तहसील सोजत जिला पाली राज. 2. मिश्रीदेवी पत्नी घेवरराम जाति माली निवासी निम्बली नाडी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 3. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज.

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह जैतावत।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/03/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के सीमांकन आदेश 2125–26, 2127–28 दिनांक 03.07.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम रेन्दड़ी पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत में अपीलाण्ट की खरीदशुदा खातेदारी कब्जाकाश्त आराजी खसरा संख्या 20 रकबा 2.4000 हैक्टर किस्म जाव दोयम आयी हुई है, जिसकी चारों दिशाओं में धोरा पाली एंव बाड़ मय ताराबंदी की हुई है जिसमें अपीलाण्ट्स का बराबर हक अधिकार है एवं उक्त भूमि पर पर अपीलाण्ट ने वर्तमान में मेहन्दी की फसल बो रखी है। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के स्वयं की खरीदशुदा आराजी के पड़ौस में, रेस्पोडेण्ट

अति. जिला कलेक्टर पाली

संख्या 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 20/1 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा संख्या 20/2 व 20/3 आयी हुई है। रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट को धमकी दी की हमारी कृषि भूमि आपके कब्जे में है, जिसे हम मौका देखकर ले लेगें। जिस पर अपीलाण्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपखण्ड कार्यालय, सोजत में पेश किया जिस पर न्यायालय ने प्रकरण की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए एक पक्षीय बहस सुनी जाकर रेस्पोडेण्ट को आगामी आदेश तक मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया। जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 को होते हुये भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने जैर आराजी कृषि भूमि के मध्य स्थित माठ पर तारबदीं कर दी। दिनांक 03.07.2023 को रेस्पोडेण्ट्स ने खसरा संख्या 20 व खसरा संख्या 20/1, 20/2, 20/3 के बीच की माठ नये सिरे से कायम करने हेतु सीमाकंन आवेदन तहसीलदार सोजत के समक्ष अलग–अलग पेश किया, जिस पर तहसीलदार सोजत के आदेश की पालना में पटवारी तहसीलदार सोजत ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व अन्य लोगों की उपस्थिति में मौके पर खड़ी फसल होने एवं न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजुद नियमों के विरूद्ध सीमांकन किया जाकर अपीलाण्ट की आराजी की एक दिशा दक्षिण–पूर्व में करीब 80 फिट अन्दर व पश्चिम दक्षिण दिशा में करीब 40 फिट अपीलाण्ट की खड़ी फसल में जाकर माठ कायम कर पत्थरगढी कर दी। उक्त सीमांकन के संबंध में अपीलण्ट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया तथा राजस्व मण्डल, बोर्ड के नियम व आदेशानुसार 01 जुलाई से 31 अक्टुबर मे मध्य कृषि भूमि का सीमांकन बाबत प्रतिबंध लगाये होने के बावजूद भी रेस्पोडेण्ट्स ने हटधर्मिता रखते हुए नियम विरूद्ध गलत तरीके से सीमांकन किया, जो काबिल निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील सीमांकन आदेश विधि अनुसार हुआ है जिसके संबध में प्रार्थी ने विधि अनुसार तहसीलदार के समक्ष भूमि सीमांकन हेतु राजस्थान भू(भू.अ.)नियम, 1957 के नियम 24 के 2(ई) के तहत आवेदन पत्र पेश किया जिसके आधार पर तहसीलदार सोजत ने हल्का पटवारी को अपेक्षित करते हुये जैर अपील सीमांकन आदेश पारित किया गया। जिसके आधार पर जैर आराजी का सीमांकन किया गया, जो विधि अनुसार है। अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 20 रकबा 2.4000 हैक्टर है जबकि जैर अपील सीमांकन आदेश 20/1, 20/2, 20/3 का रेकर्ड की स्थिति अनुसार किया गया है। यदि अपीलाण्ट्स को लगता है कि जैर सीमांकन आदेश गलत तरीके से हुआ है तो वह अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही वकील अपीलाण्ट ने दो अलग अलग आदेशों की एक ही अपील पेश की है, जो न्यायसगंत नहीं है। इसलिये बिना आधारों के प्रस्तुत जैर अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सोजत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन सीमांकन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील सीमांकन आदेश को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम रेन्दड़ी के सीमांकन आदेश 23/93, 23/2125–26 व 23/2127–23 दिनांक 03.07.2023 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रेन्दड़ी में स्थित खसरा संख्या 20/2 एवं खसरा संख्या 20/3 की भूमि का सीमांकन करने हेतु भवंरलाल एवं हरीराम तथा खसरा संख्या 20/1 की भूमि का सीमांकन करने हेतु मिश्रीदेवी ने अलग–अलग आवेदन पत्र तहसीलदार, सोजत के समक्ष पेश किया, जिस पर जांच हेतु पटवारी को भेजा गया। जिसके सम्बन्ध में आवदेनकर्ता ने निर्धारित शूल्क 50/– रूपये जरिये रसीद संख्या 23540656389 दिनांक 02.07.2023 एवं रसीद संख्या 23540729232 दिनांक 03.07.2023 को जमा करवा दी तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 20/2 व 20/3 की आराजी का सीमांकन हेतु सहखातेदार की सहमती है एवं खसरा संख्या 20/1 में आवेदनकर्ता एकल खातेदार है तथा किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है, सीमांकन किया जाना उचित है, के अनुसार जैर आराजी का सीमांकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के संलग्न मौका फर्द अनुसार उक्त सीमांकन मौतबिरानों की उपस्थिति में रेकर्ड, स्थित तरमीम अनुसार किया गया व सीमा चिह्न बनाये गये, जिस पर मौतबिरानों के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.07.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट बिना किसी मुस्तकिल बिन्दु को आधार स्तम्भ बनाते हुए मात्र रेकर्ड में स्थित तरमीम अनुसार तैयार की गई हैं। मुस्तकिल बिन्दु के अभाव में तैयार की गई रिपोर्ट में त्रुटि की संभावना अधिक रहती हैं। इसके अतिरिक्त सीमांकन टीम द्वारा किसी प्रकार का नजरी नक्शा भी कायम नहीं किया, जो विधि सम्मत सीमांकन की ताईद करता हो। ऐसी स्थिति में जैर अपील सीमांकन आदेश व उसकी पालना में की गई कार्रवाई दूषित प्रतीत होने के कारण विधि सम्मत नहीं है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, 128 के अनुसार किसी आराजी का खातेदार राजस्व रेकर्ड अनुसार अपनी भूमि का सीमांकन करवाने हेतु स्वतंत्र है। अपीलाण्ट ने जैर अपील आदेश से अपने हक अधिकार प्रभावित होना एवं उक्त सीमांकन आदेश की आड़ में अपनी भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स का अतिक्रमण बताते हुये पेश की है। चूंकि जैर सीमांकन आदेश नियमों कि परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और यदि अपीलाण्ट को ऐसा महसूस होता है कि उक्त आदेश की आड़ में अपीलाण्ट की भूमि का रकबा कम हुआ है अथवा उस पर अतिक्रमण किया गया हो तो अपीलाण्ट स्वयं अपनी खरीदशुदा आराजी खसरा संख्या 20 रकबा 2.4000 हैक्टेयर का विधिनुसार सीमांकन करवाने हेतु स्वतंत्र है। जैसा कि उपरोक्त पदों में विलेखित किया जा चुका है कि तहसीलदार, सोजत द्वारा पारित आदेश एवं उसकी पालना में की गई कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है, इसलिये उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन जैर सीमांकन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सोजत के सीमांकन आदेश 2125–26, 2127–28 दिनांक 03.07.2023 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तहसीलदार, सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि का मुस्तकिल बिन्दुओं के आधार पर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिनुसार सीमांकन करे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली